प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस.)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2025
प्र. इ. रि. सं. ....119/2025............ दिनांक.........19.05.2025

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें 07, 7ए, 8, 11, 12
(II) * अधिनियम .... धारायें ...
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....852......................समय . 02.05 PM
(ब) अपराध घटने का दिन गुरूवार दिनांक 02.01.2025 से समय
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..2025 समय पीएम

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :– सवाईमाधोपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– पूर्व लगभग 160 किमी.
(ब) पता – सरकारी क्वार्टर एवं कार्यालय अति.पुलिस अधीक्षक, एसीबी चौकी सवाईमाधोपुर

....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री राजेश दुरेजा
(ब) पिता/पति का नाम श्री चुन्नीलाल
(स) जन्म तिथी/वर्ष करीब 1.08.1976
(द) राष्ट्रीयता . भारतीय...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय – उप अधीक्षक पुलिस, तकनीकी शाखा, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर
(ल) पता – डी–605, एसडीसी ग्रीन पार्क अपार्टमेंट जनता कॉलोनी, जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
1. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाईमाधोपुर
2. श्री रामराज मीणा, प्राईवेट व्यक्ति, निवासी पीलवा नदी, मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर
3. श्री प्रदीप उर्फ बंटी पारीक, प्राईवेट व्यक्ति

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–....कोई नहीं.

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).......

R. दुरेजा

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

महोदय,

निवेदन है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों मुख्यालय पर श्री सूरज बाली, सहायक उप निरीक्षक, सर्तकता शाखा, भ्र.नि.ब्यूरो से इस सार की आसूचना प्राप्त हुई है कि "सवाई माधोपुर निवासी श्री रामराज मीणा द्वारा अवैध बजरी खनन को संरक्षण देने के लिये सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से दलाल/मध्यस्थ के रूप मे सांठगांठ कर, इन विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत राशि पहुंचाई जा रही है।" उक्त सूचना व्यापक स्तर पर अवैध बजरी खनन को रोकने के लिये प्रतिबद्ध सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध बजरी खनन को संरक्षण प्रदान करते हुए भारी मात्रा में रिश्वत राशि प्राप्त कर भ्रष्टाचार किये जाने से उत्पन्न हो रहे लोक सुरक्षा के संभावित खतरे से सम्बन्धित होने के मध्यनजर तकनीकी शाखा द्वारा मध्यस्थ श्री रामराज मीणा द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. [redacted] को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त नियमानुसार अन्तावरोध पर लिया जाकर श्री लक्ष्मणनारायण शर्मा, हैडकानि. 15 द्वारा सुना गया तथा वार्ताओं में आये तथ्यों के आधार पर यह प्रकट हुआ कि श्री रामराज मीणा द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी सवाईमाधोपुर के लिये अन्य विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही का भय दिखाया जाकर, संरक्षण प्रदान करने हेतु रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। श्री रामराज मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] के अन्तावरोध अवधि में उनके द्वारा तथा श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, चौकी सवाईमाधोपुर से अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों की करवाई गई महत्वपूर्ण संदिग्ध वार्ताओं का सार निम्नानुसार है :–

1. दिनांक 08.01.2025 को समय 08:42:31 को श्री रामराज मीणा के मोबाईल नं. [redacted] तथा श्री गणेश के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता में रामराज द्वारा अपना परिचय देने के बाद कहता है कि साहब बात करेगे जिस पर अगली आवाज वाला व्यक्ति अपना परिचय सुरेन्द्र शर्मा नाम बताते हुये अगले को गणेश नाम से सम्बोधित करता है जिस पर गणेश द्वारा सुरेन्द्र शर्मा का अभिनन्दन किया जाता है उसके पश्चात् सुरेन्द्र शर्मा व गणेश द्वारा आपस में सामान्य वार्तालाप किया जाता है।
2. दिनांक 08.01.2025 को समय 17:20:06 को श्री रामराज मीणा के मोबाईल नं. [redacted] तथा अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता में रामराज द्वारा सुरेन्द्र शर्मा की अन्य व्यक्ति से वार्ता कराता है। जिसमें सुरेन्द्र शर्मा अन्य व्यक्ति से उसके ठेके से चार बोतल बलेंडर शराब की मांग की जाती है।

3. दिनांक 09.01.2025 को समय 09:10:59 को श्री रामराज मीणा के मोबाईल नं. [redacted] तथा प्रदीप उर्फ बंटी पारीक के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता में रामराज द्वारा विवेक के फोन नही उठाने का उलाहना देते हुये साहब के बात करने का कहता है और सुरेन्द्र शर्मा से वार्ता करवाता है, (सुरेन्द्र शर्मा किसी अन्य फोन से अन्य व्यक्ति से किसी एसीबी प्रकरण के सम्बन्ध में बात कर रहा है।) तत्पश्चात् वार्ता में श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा कहा जाता है कि "जयपुर जाना है मेरा सामान तो लाओ" जिस पर प्रदीप उर्फ बंटी पारीक बताता है कि डीटीओ था ही कहां ? तो सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि आज तो आयेगा इस पर प्रदीप उर्फ बंटी पारीक हामी भरता है, तो सुरेन्द्र शर्मा

2.3.25 [illegible]

कहता है कि ''आज ले आओ'' जिस पर प्रदीप उर्फ बंटी पारीक आज ही लाने की सहमति देता है। तत्पश्चात् सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि ''हर चीज की समाई है लेकिन पैसो की नही है (दोनो हंसते है)। तत्पश्चात् सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि जयपुर में एन्ट्री नही है और कहता है कि ''आज ले आना सामान, कल जल्दी जाऊंगा दिन में, जिस पर प्रदीप उर्फ बंटी पारीक द्वारा सामान लाने की सहमति दी जाती है, इसके उपरान्त सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि विवेक फोन नही उठा रहा, बात हो तो बात करने की कहना जिस पर प्रदीप उर्फ बंटी पारीक द्वारा सहमति दी जाती है।

4. दिनांक 09.01.2025 को समय 09:17:39 को श्री रामराज मीणा के मोबाईल नं. [redacted] तथा श्री जयराज सिंह राजावत के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता में रामराज द्वारा अभिनन्दन के बाद कहा जाता है कि साहब बात करेंगे, जिस पर सुरेन्द्र शर्मा द्वारा वकील साहब कह कर सम्बोधित किया जाता है एवं धमाका नही कराने का उलाहना दिया जाता है जिस पर जयराज उर्फ वकील द्वारा व्यस्तता बताते हुए धमाका कराने का आश्वासन दिया जाता है जिस पर सुरेन्द्र द्वारा कहा जाता है कि ''भय के बिना प्रीत नहीं है दुनिया में'' जिस पर जयराज द्वारा कहा जाता है कि रामराज वाले कार्य में आप कहने के बाद कापरेट करने लगे है। तत्पश्चात् सुरेन्द्र शर्मा द्वारा किसी तहसीलदार का करवाने या वैसे ही पूंछ दबवाने व ऊपर के ऊपर निपटा देगे, तो वकील द्वारा कहा जाता है कि ''ठीक है पूंछ दबवा देते है'' तो सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि ''डिमाण्ड तो करवाओ कोई, खुद ही लियाना मादरचोद डिमाण्ड हो गई पता ही नहीं तेरे को चूतिया'' तो वकील सहमति देकर करवाने के लिये कहता है। तत्पश्चात् सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि कोई जरूरी नहीं अपन धमाका ही करें, सर्जिकल स्ट्राईक कर देंगे, तो वकील द्वारा 5 दिन में यह कार्य करवाने का आश्वासन दिया जाता है।

5. दिनांक 16.01.2025 को समय 09:30:19 को श्री रामराज मीणा के मोबाईल नं. [redacted] तथा प्रदीप उर्फ बंटी पारीक के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता में रामराज प्रदीप उर्फ बंटी पारीक से वार्ता कर रहा होता है कि बीच में सुरेन्द्र शर्मा स्वयं, प्रदीप उर्फ बंटी पारीक से वार्ता करने लगते है, तो सुरेन्द्र शर्मा प्रदीप उर्फ बंटी पारीक को कल नही आने का उलाहना देता है। तत्पश्चात् प्रदीप उर्फ बंटी पारीक कहता है कि कल उस समय दीपक का कॉल आ रहा था मैंनें उठाया नहीं और सोचा कि वो शायद आपके पास बैठा हो, जिस पर सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि बैठा तो यहीं था, आपका कयास बिल्कुल सही है, तो प्रदीप उर्फ बंटी पारीक कहता है मैंने इसलिए कॉल नही उठाया कि वो फिर ये कहेगा वहां से पैसे लियाओ, ये कर आओ क्योकि ट्रांसफर लिस्ट आ रही है ना, मुझे तो यही भय था कि मैं उसका फोन नहीं उठा रहा और बॉस फोन करेंगे तो मैं उनका उठा लूंगा तो वो कहेगा कि उनका उठा लिया मेरा नहीं उठाया (हंसी) जिस पर सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि मेरे को भी कह रहा था तो मैने तो कह दिया कि तू जाने और वो जाने, हमने तो हमारी कटवा ली, तत्पश्चात् प्रदीप उर्फ बंटी पारीक को सलाह दी जाती है कि ''तू एडवान्स पर्ची काटा ही मत कर, एडवांस पैसे लेकर पर्ची काटा कर, जिस पर प्रदीप उर्फ बंटी पारीक सहमति देते हुए कहता है कि ''चलो डीटीओ ने कह दी कि दे देना, वो मैं दे दूंगा और एक जने का और है, लेकिन वो तो चाहे जिसकी ही काटे बिना पैसे दिये ही, अब वो तो डिपार्टमेंट है मेरा हाथोहाथ पैसा ले और मस्त रह, तत्पश्चात् परिवहन विभाग की ट्रांसफर लिस्ट नहीं आने का कहता है तो सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि अपने लिये तो ये ही अच्छा है, जमा जमाया सेटअप है। तत्पश्चात् दोनो ट्रांसफर लिस्ट की चर्चा करते है। जिस पर प्रदीप उर्फ बंटी पारीक कहता है कि मेरे लिये परेशानी करेगा ये, तो सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि नहीं करेगा विश्वास रखो, तत्पश्चात् कहता है कि उससे संधि यही करेगे कि पूर्वाग्रह से

2/3 [illegible]

ग्रसित नही रहोगे, पुरानी बातें भूल जाओ, और आप डीटीओ व ये (प्रदीप उर्फ बंटी पारीक) डिप्टी डीटीओ है (प्रदीप उर्फ बंटी पारीक हंसता है) तत्पश्चात् प्रदीप उर्फ बंटी पारीक कहता है आपका माल तो मैं ले आया था उठाकर, इसका कोई भरोसा नही है तो सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि ये पैसे लेने के बाद दूर दूर और घूमता है (दोनो हंसते है), इस पर प्रदीप उर्फ बंटी पारीक कहता है कि कल क्या हुआ कि पिछली बार की तरह लफडा ना हो जाये सर कहीं, तो उसने पूछा कि कैसे ? तो मैने कहा पिछली बार वो सैकण्ड आया रजनीश आया तो वो डीटीओ दयाशंकर कहे कि मैने दे दिये और वो कहे कि मैने दे दिये, मैने कहा इससे बात चार जगह आउट होती है, आपका 15 दिन का है ही, आप 15 दिन का कर–करा दो, दूसरा आयेगा वो बाकि 15 दिन का दे देगा तो बोला बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, कल फिर उगाही करके जेब में धर लिये मैने, इस पर सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि "जमा तो कराओ तो" तो प्रदीप उर्फ बंटी पारीक कहता है निकलता हुआ ऑफिस जाउंगा तो उधर से ही निकल जाउंगा आपके पास से ही, तो सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि "वो एक भी लियाना, तो प्रदीप उर्फ बंटी पारीक सहमति देते हुऐ कहता है कि वो एक भी ले आउंगा, एक पैंतीस हो गये अब आपके, तत्पश्चात् सुरेन्द्र शर्मा पूछता है कि "पार्टी कब करोगे ?" तो प्रदीप उर्फ बंटी पारीक आज ही शाम को करने के लिये कहता है तो सुरेन्द्र शर्मा सहमति देता है।

6. दिनांक 16.01.2025 को समय 21:08:18 को श्री रामराज मीणा के मोबाईल नं. [redacted] तथा अन्य व्यक्ति के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता में दूसरा व्यक्ति अपने फोन से पुलिसकर्मी मुश्ताक की वार्ता करवाता है। वार्ता के प्रारम्भ में श्री मुश्ताक द्वारा 'जय हिन्द' का अभिवादन सुरेन्द्र शर्मा द्वारा दिया जाकर कहा जाता है कि 'जय हिन्द मुश्ताक जी, सुरेन्द्र बोल रहा हूँ' तो मुश्ताक द्वारा कहा जाता है कि "जी सर" तो सुरेन्द्र शर्मा द्वारा कहा जाता है कि "यार ये अपनी जा रही है बेगार में, चार ट्रक जायेंगे, है ना" तो मुश्ताक कहता है कि "सर एक बार आप कह देते ना सीओ साहब से" तो सुरेन्द्र शर्मा द्वारा कहा जाता है कि "मां चुदा गये सीओ साहब, मौके के आप ही, आप ही कह देना कि उनका फोन आया था और मेरे से बात करवा देना" तो मुश्ताक द्वारा कहा जाता है कि "ठीक है सर, मैं एक बार उनकी नॉलेज में डाल देता हूँ।" तो सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि "बिल्कुल आप डाल देना कि उनका फोन आया था आप चाहो तो वेरिफाई कर लो, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है" तो मुश्ताक सहमति देता है। फिर सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि "आप तो मौज करो कभी भी आ जाना, मिल लेना, कोई नो टेंशन रहो, वो तो एसएचओ से थी मेरी, आपसे कुछ नहीं है किसी से, उसकी हेंकडी निकालनी थी, बाकि आपसे मेरा कोई मतलब नहीं है, आपके लिये तो रामराज ने पहले ही कह दी थी कि सर उस दिन भी काफी हेल्प की उन्होनें, पहले भी कई बार निकाली है उन्होनें, उसमें जाट वाली ऐंठ थी, तो उसको ट्रैलर दिखाना था मेरे को" तो मुश्ताक "जी सर जी सर" कहता है, फिर सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि "आप बेहिचक होकर कह देना, विश्नोई जी बेचमेंट है मेरे छोटे भाई वीरेन्द्र के, मैं खुद कह रहा हूँ आप कह देना कि सुरेन्द्र जी का फोन आया था सर आप चाहो तो वेरिफाई कर लो" तो मुश्ताक "जी सर जी सर" कहता है।

7. दिनांक 01.05.2025 को समय 20:20:32 को श्री रामराज मीणा के मोबाईल नं. [redacted] तथा रामू के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता में प्रारंभ मे तो रामराज साधारण वार्ता करता है। उसके बाद वह सुरेन्द्र शर्मा से बात करवाता है। सुरेन्द्र शर्मा रामू से कहता है कि आपकी पैन्डेन्सी चल रही है। जिस पर रामू कहता है कि किस का कराउं आप रवांजना से दो दो तो ले गये थे। इसके जवाब में सुरेन्द्र शर्मा किसी रेंजर का करवाने की कहता है। जिस पर रामू कहता है कि अभी फोरेस्ट में भी

21/5/25 [signature]

कोई काम धाम नही चल रहा है। इसके जवाब में सुरेन्द्र शर्मा कहता है कि काम धाम की जरूरत ही नहीं है इतना सा कह देना कि किसी से लेनदेन की रिकार्डिंग हो गयी है आपकी। समय रहते संभाल लो कहीं ऐसा नही हो बाद में।

इस प्रकार अंतावरोधित वार्ताओं एवं सूत्र सूचना तथा अन्य आये तथ्य एवं साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी सवाई माधोपुर द्वारा रामराज मीणा, प्रदीप उर्फ बंटी पारीक से आपसी मिलीभगत, सांठगांठ व षडयंत्र कर जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र के जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारियों से रिश्वत राशि मंथली बंधी के रूप में वसूलना पाया गया है। इसी प्रकार अपने दलालों के माध्यम से अन्य सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को रिश्वत संबंधी वार्ताओं की रिकार्डिंग की झूठी धमकी देकर रिश्वत राशि मांगने के भी तथ्य आये हैं। श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके दलालों के माध्यम से अवैध बजरी के ट्रक की निकासी लोकसेवकों पर अनावश्यक दवाब डालकर सरकार को अनुचित हानि कारित करते हुये अवैध परिवहन में सहयोग करना भी सामने आया है। इसी प्रकार अपने पद का प्रभाव जमाते हुये ठेके वालों से अवैध रूप से शराब की बोतलें मंगवाये जाने के भी तथ्य आये हैं।

इसके अतिरिक्त माह जून 2024 में आम जनता बजरिया थाना मानटाउन सवाई माधोपुर ने एक परिवाद सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, चौकी सवाई माधोपुर के विरूद्ध इस आशय का दिया था कि श्री सुरेन्द्र शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर हर विभाग के अधिकारियों के पास दलाल रामराज मीणा तथा बन्टी पारीक के माध्यम से संदेश भिजवाता है कि साहब बहुत नाराज हो रहे हैं। इस पर संबंधित अधिकारी किसी ना किसी मामले में उलझने से बचने के लिये मोटी मासिक शुल्क देता है।

इस कार्यालय में यह आसूचना भी प्राप्त हुयी है कि दिनांक 10–06–2023 को श्री भरत सिंह, उपनिरीक्षक थानाअधिकारी थाना उदेई मोड जिला सवाई माधोपुर ने अपने थाने के राजनामचे में इस आशय कि एक रपट डाली थी कि आज श्री रमेश सिनसिनवार निवासी सिनसिनी भरतपुर मन थानाअधिकारी के पास कार्यालय में आया व बताया कि श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा एडीशनल एसपी एसीबी से आपके संबंध में बात हुयी थी। उन्होंने कहा कि शाम तक वह एक लाख रूपये मुझे पहुचा दे अन्यथा थाना छोडकर चला जाये। आपसे एडीशनल साहब बहुत नाराज हैं, वो आपको या आपके थाने कि किसी भी आदमी को किसी भी मामले में लपेट देंगें। मैं बाटोडा थानाअधिकारी रामकेश के पास दो बार गया था, उससे कहा था कि एडीशनल साहब से मिल लेना, लेकिन वह मिलने नहीं गया तो उसका ट्रेप कर दिया। मैंने कई लोगों का सेटलमेंट साहब से करवाया है, मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है। आपकी इच्छा हो तो मैं उनसे खुद ले जाकर मिलवा दूंगा और काम होने के बाद वह आपको कोई टेंशन नहीं देगा। आज प्रदीप उर्फ बंटी पारीक जयपुर आया हुआ है तथा सूत्र आसूचना के अनुसार उसके द्वारा इकटठी की हुई रिश्वत राशि श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, चौकी सवाई माधोपुर को पहुंचाने की संभावना है।1

इस प्रकार सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, चौकी सवाई माधोपुर जिनका यह कर्त्तव्य था कि अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार के विरूद्ध समुचित

2 [signature]

कार्यवाही करें, परंतु उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपने चहेते दलालों के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढावा दिया, अपने क्षेत्र में रिश्वत की अवैध रूप से वसूली की तथा दलालों व अन्य व्यक्तियों को भ्रष्टाचार जैसे अपराध करने के लिये दुष्प्रेरण किया।

अतः श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, चौकी सवाई माधोपुर, श्री रामराज मीणा, प्रदीप उर्फ बंटी पारीक के विरूद्ध धारा 7, 7ए, 8, 11, 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपीयों के विरूद्ध अंर्तगत धारा 7, 7ए, 8, 11, 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में पेश है।

राजेश दुरेजा 19/05/25

(राजेश दुरेजा)
उप अधीक्षक पुलिस
तकनीकी शाखा, भ्र.नि.ब्यूरो
जयपुर (राज.)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक,तकनीकी अनुभाग भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7(ए),8,11,12 पी.सी. एक्ट 1988 में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने पर अभियुक्त श्री सुरेन्द्र शर्मा तत्कालीन अति0 पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0 ब्यूरो चौकी सवाईमाधोपुर , श्री रामराज मीना निवासी पीलवा नदी मलारणा डुँगर सवाईमाधोपुर, श्री प्रदीप उर्फ बन्टी पारीक के विरुद्व अपराध संख्या 119 /2025 दिनांक 19.05.2025 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री विशनाराम , अति0पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर के सुपुर्द किया गया। प्रतियॉ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

(डॉ0 प्यारे लाल शिवरान)
पुलिस अधीक्षक –प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर।

क्रमांकः– 697-703
दिनांक 19.05.2025
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, क्रम संख्या – 1 जयपुर ।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव , कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर।
3. श्रीमान महानिदेशक, पुलिस राज0 जयपुर।
4. श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज0 जयपुर।
5. श्रीमान अति0 महानिदेशक पुलिस, कार्मिक राज0 जयपुर ।
6. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस –तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
7. श्री विशनाराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

(डॉ0 प्यारे लाल शिवरान)
पुलिस अधीक्षक –प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर।